समाहरणालय, समस्तीपुर।
(आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

निविदा सूचना

संभावित बाढ़–2013 को ध्यान में रखते हुए बाढ़ पीडितों के सहायतार्थ आवश्यकता को देखते हुए निम्नलिखित राहत सामग्रियों की आपूर्ति हेतु दर निर्धारण के लिए दिनांक 30.6.13 के 3:00 बजे अपराहन तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, समस्तीपुर में निविदा प्राप्त की जायेगी। प्राप्त निविदाओं को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जिला क्रय समिति के समक्ष उसी दिन 5:00 बजे अपराहन में खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

क्रमांक	राहत सामग्री का नाम	विशिष्टताएँ / साईज	दर की मात्रा / अन्य विवरण
1	2	3	4
1	चूड़ा	उत्तम किस्म की	प्रति क्वींटल
2	गुड़	उत्तम किस्म की	प्रति क्वींटल
3	सत्तु (चना का)	उत्तम किस्म की	प्रति क्वींटल
4	चना	उत्तम किस्म की	प्रति क्वींटल
5	नमक	आयोडाईज्ड	प्रति कि0ग्रा0 पैकेट
6	दिया सलाई	उत्तम किस्म की	प्रति सैकड़ा
7	मोमबत्ती (मध्यम आकार)	उत्तम किस्म की	प्रति सैकड़ा
8	कपड़ा का थैला बॉधने हेतु डोरी के साथ	5 कि0ग्रा0 एवं 2.5 कि0ग्रा0	प्रति कि0ग्रा0
9	प्लास्टीक थैला	5 कि0 ग्रा0 एवं 2.5 कि0ग्रा0	प्रति कि0ग्रा0
10	पावरोटी	उत्तम किस्म की	प्रति कि0ग्रा0
11	मिनरल वाटर	उत्तम किस्म की	प्रति 1 लीटर का बोतल
12	लकड़ी (जलावन के लिए)	उत्तम किस्म की	प्रति क्वींटल
13	चीनी	मोटा	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा
14	मारकीन कपड़ा	उत्तम किस्म की	दर प्रति मीटर में।
15	आटा	उत्तम किस्म की	दर प्रति क्वींटल अंकित होगा
16	दाल, (अरहर, चना, मूँग, मसूर)	उत्तम किस्म की	दर प्रति क्वींटल अंकित होगा
17	सरसों तेल	उत्तम किस्म की	15 कि0ग्रा0 प्रति टीन
18	मसाला–जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गोल मिर्च पाउडर	उत्तम किस्म की	दर प्रति कि0ग्रा0 अलग–अलग
19	आलू	उत्तम किस्म की	दर प्रति क्वींटल में
20	जनरेटर (भाड़े पर इंधन सहित)	5KVA/10KVA/15KVA (राहत शिविर तक पहुँचाकर)	दर प्रतिदिन
21	सभी प्रकार से जनरेटर से चलने वाले लाईट (भाड़े पर)	प्रत्येक 10 मीटर पर एक CFL बल्ब राहत शिविर में लगाने सहित	दर प्रतिदिन
22	खाना बनाने का सभी प्रकार के बर्त्तन (भाड़े पर)	-	दर प्रतिदिन
23	खाना बनाने का गैस भठ्ठी / चूलहा (भाड़े पर)	-	दर प्रतिदिन
24	धोती (सूती)	-	प्रति नग
25	साड़ी (सूती)	-	प्रति नग
26	गंजी (सूती)	-	प्रति नग
27	लूंगी (सूती)	-	प्रति नग
28	गमछा (सूती)	-	प्रति नग

29	दरी (सभी साईज में)	-	प्रति नग
30	चटाई (सभी साईज में)	-	प्रति नग
31	थाली (स्टील)	-	प्रति नग
32	कटोरा (स्टील)	-	प्रति नग
33	ग्लास (स्टील)	-	प्रति नग

निविदा की शर्ते :–

1. वित्तीय एवं तकनीकी निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफा में देनी होगी। तकनीकी निविदा योग्य पाये जानेवाले निविदाताओ का हीं वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

तकनिकी निविदा :–

2. तकनिकी निविदा के साथ वाणिज्यकर विभाग का निबंधन एवं वाणिज्यकर द्वारा निर्गत स्वच्छता प्रमाण–पत्र, आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड की छायाप्रति देना होगा।
3 .अग्रधन के रूप में निविदादाता को 10000(दस हजार) का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा, जो जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पदनाम से होगा।

वित्तीय निविदा :–

4. वित्तीय निविदा में सामग्रियों की दर सभी कर सहित अंकित करनी होगी।

अन्य शर्तें :–

5. आपूर्ति की जानेवाली सामग्रियों का नमूना सीलड पैकेट में अलग–अलग निविदा के साथ जमा करना होगा।
6. स्वीकृत की गई निविदा के निविदादाता को स्वीकृत मूल्य पर पूरे जिले में किसी भी स्थान पर सामग्रियों की आपूर्ति करनी होगी। इस हेतु अलग से परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
7. स्वीकृत की गई निविदा के निविदादाता को दो दिनों के अंदर एकरानामा करना होगा जिसमें अन्य शर्तो के साथ यह शर्त भी उल्लिखित होगी कि बाढ़ की स्थिति में आपूर्ति आदेश मिलने के 12 घंटों के अंदर नमूना के अनुरूप आपूर्ति आदेश में अंकित सभी समानों की आपूर्ति गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुसार कर देगे, एवं आवश्यकतानुसार समस्तीपुर जिला के बाढ़ प्रभावित अंचलो/शिविरो में पहुँचा देगे। इस हेतु अलग से आपूर्तिकर्त्ता को परिवहन व्यय देय नही होगा।
8. स्वीकृत किये गये नमूने के अनुरूप सामग्रियाँ की आपूर्ति नहीं किये जाने पर आपूर्तिकर्ता के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भी भुगतान नही किया जाएगा।
9. स्वीकृत आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा ससमय आदेशित सामग्री की आपूर्ति नही किये जाने की स्थिति में आनश्यकता के मददेनजर अन्य निविदादाताओं या स्थानीय बाजार से अनुमोदित दर पर आपूर्ति लीजा सकती है।
10. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं की जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
11. भुगतान के समय आयकर एवं वाणिज्य कर की कटौती कर हीं भुगतान किया जायगा।
12. निविदादाता को यह शपथ पत्र देना होगा की उनका फार्म किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालय द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है।
13. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये निविदा रद्ध अथवा स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
14. विशेष जानकारी समस्तीपुर जिला के कार्यालय वेबसाईट www.samastipur.bih.nic.in पर प्राप्त की जाय सकती हैं

जिला पदाधिकारी
रामरतीपुर।